



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक-30.08.2021

25,000/ का इनामिया, चोरी/लूट की घटनाओं का वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा/कारतूस व चोरी एवं लूट किये गये माल सहित गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि दिनांक 29.08.2021 को शाम को थाना राठ पर सूचना मिली कि दो बदमाश जिनके पास नाजायज असलहा व कारतूस है ग्राम पडरा जाने वाली सडक के पास खडे है कोई वारदात करने की फिराक मे है इस सूचना पर प्र0नि0 राठ मय पुलिस बल के नहर के पास पडरा जाने वाली रोड पर पहुँचे कि दोनो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे थे। एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर खेतो की तरफ भाग गया तथा दूसरा व्यक्ति जिसका नाम रामबरन पुत्र इन्द्रपाल राजपूत नि0 इछौरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर जिसने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम के ऊपर फायर किया जो का0 पंकज कुमार के बाये हाथ मे लगा था तब पुलिस टीम द्वारा रामबरन को आत्मसमर्पण के लिये कहा गया, इसके बाद भी पुलिस टीम पर दूसरा फायर कर दिया तब प्रभारी निरीक्षक द्वारा सरकारी से फायर किया गया जो रामबरन के दाहिने पैर मे जाकर लगी, जो लडखडाते हुये गिर गया था। राठ पुलिस द्वारा रामबरन पुत्र इन्द्रपाल राजपूत नि0 इछौरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को हिरासत मे लिया गया । जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा जामा तलाशी से एक पर्स जिसमे 70 रुपये व एक अदद पैन कार्ड व ATM व एक मोबाइल REAL ME टच बरामद किया गया। घायल आरक्षी पंकज कुमार तथा घायल अभियुक्त रामबरन उपरोक्त को CHC राठ इलाज हेतु भेजा गया था तथा अभियुक्त रामबरन से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि दिनांक 04.04.2021 की रात्रि मे अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर दीपक कुमार पुत्र भागवली नि0 मु0 सिकन्दरपुरा कस्बा राठ हमीरपुर के घर से 02 मोबाइल फोन MI & INFINIX व पर्स जिसमे ATM, PAN CARD व आधार कार्ड व 11000 रुपये चोरी किये थे । जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 159/21 धारा 380/411 IPC पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 10.06.21 की रात्रि मे अपने साथियो के साथ मिलकर बाइक से रसेन्द्र गौतम पुत्र करमचन्द्र नि0 पठानपुरा कस्बा राठ हमीरपुर से डिजिटल कैमरा व VIVO मोबाइल व मेमोरी कार्ड व 500 रुपये नगद छीने थे जिसे सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 279/21 धारा 392/411 IPC पंजीकृत किया गया था जिसमे अभि0 रामबरन बांछित था तथा दिनांक 16.07.21 की रात्रि मे परमानन्द राजपूत पुत्र रामकिशोर नि0 बुधौलियाना कस्बा व थाना राठ हमीरपुर के घर से

लाइसेन्सी पिस्टल व मोबाइल चोरी किया था जिसमे मु0अ0स0 337/21 धारा 457/380/411 IPC पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त मुकदमे मे दिनांक 21.08.21 पिस्टल को बरामद कर दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा रामबरन उपरोक्त मुकदमे मे भी वांछित चल रहा था। उपरोक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं जो थाना मझगवां तथा थाना चिकासी तथा कोतवाली उरई जनपद जालौन मे भी कई अभियोगो मे वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

रामबरन पुत्र इन्द्रपाल राजपूत नि0 इछौरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण-

- 1.01 अदद तमंचा देशी 315 बोर
2. 02 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. जामा तलाशी से एक पर्स जिसमे 70 रुपये व एक अदद पैन कार्ड व ATM व एक मोबाइल REAL ME टच

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.SHO श्री राजेश चन्द्र त्रिपाठी
- 2.SI श्री यज्ञनारायण भार्गव
- 3.SI श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी
- 4.का0 पंकज कुमार
- 5.का0 कमल सिंह
- 6.का0 गोपाल
- 7.का0 विनय कुमार

अपराधिक विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 279/2021 धारा 392/411 IPC थाना राठ
- 2.मु0अ0सं0 337/21 धारा 457/380/411 IPC थाना राठ
- 3.मु0अ0सं0 159/21 धारा 380/411 IPC थाना राठ
- 4.मु0अ0सं0 438/21 धारा 307 IPC (पुलिस मुठभेड) थाना राठ
- 5.मु0अ0सं0 439/21 धारा 3/25 A ACT थाना राठ
- 6.मु0अ0सं0 1317/16 धारा 380 IPC कोतवाली उरई जिला जालौन
- 7.मु0अ0सं0 946/17 धारा 380/411 IPC कोतवाली उरई जिला जालौन
- 8.मु0अ0सं0 95/21 धारा 392 IPC थाना मझगवां हमीरपुर
- 9.मु0अ0सं0 63/21 धारा 392 IPC थाना चिकासी हमीरपुर

